

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश

प्री पी0जी0 प्रवेश परीक्षा, 2009 द्वितीय काउंसिलिंग की सूचना (मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सभी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय)

प्री पी0जी0 प्रवेश परीक्षा, 2009 की प्रथम काउंसिलिंग के पश्चात् स्टेट कोटा एवं ऑल इंडिया कोटा की डिग्री/डिप्लोमा रिक्त रही/प्राप्त सीटों पर आवंटन करने हेतु द्वितीय काउंसिलिंग का आयोजन दिनांक 17.06.2009 से 19.06.09 को गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में प्रातः 10.00 बजे से किया जा रहा है ।

दिनांक	कार्यक्रम	श्रेणी का नाम	वे उम्मीदवार जिन्हें उपस्थित होना है
17.06.09	स्कूटनी	सेवारत् सभी श्रेणी के उम्मीदवार	आप्ट फॉर वेटिंग तथा प्रथम काउन्सिलिंग के शेष उपस्थित सभी श्रेणी के पात्र उम्मीदवार
17.06.09	स्कूटनी	एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रम अनुसूचित जनजाति (एसटी) अनुसूचित जाति (एससी) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	आप्ट फॉर वेटिंग के सभी उम्मीदवार आप्ट फॉर वेटिंग के सभी उम्मीदवार एवं मेरिट क्रं0 111 के पश्चात् के समस्त उम्मीदवार आप्ट फॉर वेटिंग के सभी उम्मीदवार तथा मेरिट क्रं0 101 के पश्चात् के समस्त उम्मीदवार
18.06.09	आवंटन	सेवारत् सभी श्रेणी के उम्मीदवार	आप्ट फॉर वेटिंग तथा प्रथम काउन्सिलिंग के शेष उपस्थित सभी श्रेणी के पात्र उम्मीदवार
18.06.09	आवंटन	एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रम अनुसूचित जनजाति (एसटी) अनुसूचित जाति (एससी) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	आप्ट फॉर वेटिंग के सभी उम्मीदवार आप्ट फॉर वेटिंग के सभी उम्मीदवार एवं मेरिट क्रं0 111 के पश्चात् के समस्त उम्मीदवार आप्ट फॉर वेटिंग के सभी उम्मीदवार तथा मेरिट क्रं0 101 के पश्चात् के समस्त उम्मीदवार
18.06.09	स्कूटनी	अनारक्षित श्रेणी (ओपन)	आप्ट फॉर वेटिंग तथा मेरिट क्रं0 351 के पश्चात् के समस्त उम्मीदवार
19.06.09	आवंटन	अनारक्षित श्रेणी (ओपन)	आप्ट फॉर वेटिंग तथा मेरिट क्रं0 351 के पश्चात् के समस्त उम्मीदवार

नोट:- सीटों की उपलब्धता निम्नानुसार है:-

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | स्टेट कोटा की रिक्त सीट | डिग्री 02, डिप्लोमा 01, सेवारत डिप्लोमा 2 सीट |
| 2. | अखिल भारतीय कोटों की समर्पित सीट | डिग्री 24, डिप्लोमा 60 |

सीट की संभावित संख्या – कुल सीट्स 89

प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउन्सिलिंग में उपस्थित होने पर सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/-(दस हजार मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिनके माता पिता/संरक्षक की आय रूपये 1.80 लाख से अधिक है वे रूपये 2000/-(दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो संचालक चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के नाम से देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा ।

प्री0पी0जी0 परीक्षा नियम 2009 के प्रारूप 3 में दर्शाये अनुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ दो सेट के बिना काउन्सिलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी ।

किसी भी श्रेणी में सीटे समाप्त होने अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउन्सिलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जावेगी ।

नोट:-

1. सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है जिसकी सूचना काउंसिलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।
2. यदि उल्लेखित काउंसिलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसिलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।
3. एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसिलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।
4. प्रथम काउन्सिलिंग के वे उम्मीदवार जिनके दस्तावेज किन्हीं कारणों से अपूर्ण थे वे भी काउन्सिलिंग हेतु पात्र है ।
5. ऐसे समस्त उम्मीदवार जिन्हें मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय काउन्सिलिंग में भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया है ।
6. ऐसे समस्त उम्मीदवार जो प्रथम काउन्सिलिंग में अनुपस्थित रहें हैं वे द्वितीय काउन्सिलिंग हेतु अपात्र रहेगे ।
7. अखिल भारतीय कोटे की समर्पित सीटों पर शासकीय नियमानुसार निर्धारित /आरक्षण किया जावेगा ।

आयोजित की जा रही काउन्सिलिंग के संबंध में उम्मीदवार को पृथक से काल लेटर नियमानुसार जारी नहीं किये जा रहे है । समस्त श्रेणी के उम्मीदवार उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों में काउन्सिलिंग स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें । अन्य सभी शर्तें प्रथम काउन्सिलिंग में उल्लेखित विज्ञापन के अनुसार ही रहेंगी ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
प्री पी0जी0 प्रवेश परीक्षा, 2009 द्वितीय काउंसिलिंग की सूचना
(निजी चिकित्सा महाविद्यालय)

प्री पी0जी0 प्रवेश परीक्षा, 2009 के आधार पर प्रवेश/पुर्नआवंटन पश्चात् निजी चिकित्सा महाविद्यालय में रिक्त रही सीटों पर आवंटन करने हेतु द्वितीय काउंसिलिंग का आयोजन दिनांक 17.06.2009 से 19.06.09 को गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में प्रातः 10.00 बजे से किया जा रहा है ।

दिनांक	कार्यक्रम	श्रेणी का नाम	वे उम्मीदवार जिन्हें उपस्थित होना है
17.06.09	स्कूटनी	एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रम अनुसूचित जनजाति (एसटी) अनुसूचित जाति (एससी) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आप्ट फॉर वेटिंग एवं शेष रहे समस्त उम्मीदवार
18.06.09	आवंटन	एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रम अनुसूचित जनजाति (एसटी) अनुसूचित जाति (एससी) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आप्ट फॉर वेटिंग एवं शेष रहे समस्त उम्मीदवार
18.06.09	स्कूटनी	अनारक्षित श्रेणी	आप्ट फॉर वेटिंग एवं शेष रहे समस्त उम्मीदवार
19.06.09	आवंटन	अनारक्षित श्रेणी	आप्ट फॉर वेटिंग एवं शेष रहे समस्त उम्मीदवार

नोट:- सीटों की उपलब्धता निम्नानुसार है:-

आर0डी0 गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन

एसटी डिग्री सीट 2

अनारक्षित सीट डिग्री 1

प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउन्सिलिंग में उपस्थित होने पर सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिनके माता पिता/संरक्षक की आय रूपये 1.80 लाख से अधिक है वे रूपये 2000/- (दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो संचालक चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के नाम से देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा ।

प्री0पी0जी0 परीक्षा नियम 2009 के प्रारूप 3 में दर्शाये अनुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ दो सेट के बिना काउन्सिलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी ।

किसी भी श्रेणी में सीटे समाप्त होने अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउन्सिलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जावेगी ।

नोट:-

1. सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है जिसकी सूचना काउंसिलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।
2. यदि उल्लेखित काउंसिलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसिलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।
3. एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसिलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।
4. ऐसे समस्त उम्मीदवार जो प्रथम काउन्सिलिंग में अनुपस्थित रहें हैं वे द्वितीय काउन्सिलिंग हेतु अपात्र रहेगे ।

आयोजित की जा रही काउन्सिलिंग के संबंध में उम्मीदवार को पृथक से काल लेटर नियमानुसार जारी नहीं किये जा रहे है । समस्त श्रेणी के उम्मीदवार उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों में काउन्सिलिंग स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें । अन्य सभी शर्तें प्रथम काउन्सिलिंग में उल्लेखित विज्ञापन के अनुसार ही रहेंगी ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश